

बार बार पूर्व मु.मंत्री अपनी पीठ ठोकते हैं, कि उनके शासन में “कोविड मैनेजमेंट” उत्कृष्ट था...(1)

पर था या नहीं, इस पर विस्तार से बाद में बात की जा सकती है, पर, यह ससबूत कहा जा सकता है कि “कोविड मैनेजमेंट” के नाम पर अरबों की लूट मची थी

—यादवेंद्र शर्मा—

जयपुर, 19 अप्रैल। कोविड महामारी से लड़ने और मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएँ तुरन्त मुहैया कराने के नाम पर पिछली अशोक गहलोत सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकार के राजकोष से कई तरह के खर्चे किए, परन्तु अब प्राप्त दस्तावेजों से जाहिर होता है कि इन खर्चों में नियम-कायदों और नीतियों का भारी उल्लंघन किया गया और भ्रष्टाचार की सभी सीमाएँ पार कर दी गई। उदाहरण के लिए, कोविड महामारी के दौरान राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज/ अस्पतालों में राज्य/राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ.) से गहन चिकित्सा इकाई (आई.सी.यू.), बाल गहन चिकित्सा इकाई तथा नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयों (एच.आई.सी.यू./ पी.आई.सी.यू.) के सम्पूर्ण “टर्नकी” निर्माण प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार द्वारा 131 करोड़ रूपए का व्यय एस.डी. आर. एफ. फंड से किया गया, जबकि उक्त व्यय भारत सरकार द्वारा जारी आपदा प्रबंधन अधिनयम, 2005 के प्रावधानों एवं समय-समय पर तय किये गए नियम-कायदों के भी विरुद्ध है।

दरअसल, एस.डी.आर.एफ. के फंड से प्राकृतिक आपदा के समय राज्य सरकार आपदा प्रबंधन और आधारभूत ढांचे को हुई क्षति की मरम्मत और गैर स्थाई ढांचों की मरम्मत के लिये खर्च कर

■ यह लूट इतने सुनियोजित तरीके से हुई कि, “राइट टु इन्फॉर्मेशन” (सूचना का अधिकार) के दफ्तरों के बीसियों चक्कर लगाने पड़े प्रमाण इकट्ठे करने में।

■ पहले तो सरकार ने यह कहा कि प्राकृतिक आपदा व महामारी के दौरान लोक निर्माण से जुड़े कार्यों के लिये निविदा जारी करना असंभव हो जाता है। इस बहाने की आड़ में गहलोत सरकार ने, पारदर्शिता अधिनियम की पूरी अवहेलना करते हुए राष्ट्रीय आपदा राहत निधि के फंड से अस्पतालों में स्थायी निर्माण करने के आदेश दिये।

■ इन निर्माण कार्यों में किसी भी तरह के मानक लागू नहीं किये गये, और बड़ी महंगी दरों पर निर्माण कार्य हुआ। जबकि, मार्च-अप्रैल 2020 को केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, आपदा राहत निधि से कोई भी स्थायी काम नहीं कराया जा सकता। ऐसे निर्माण कार्य को सरकार को अपने बजट से ही करवाना अनिवार्य है। पर, 31 मार्च 2021 को सरकार ने मेडिकल एजुकेशन विभाग को इस काम को राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से कराने की स्वीकृति दी, इस स्वीकृति में 131 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राहत निधि से खर्च करना शामिल है।

सकती है। पाठकों को बता दें कि प्राकृतिक आपदा व महामारी के दौरान लोक निर्माण से जुड़े कार्यों के लिये निविदा जारी करना असंभव हो जाता है, क्योंकि निविदा जारी करने वाले कानून, जैसे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आर.टी.पी.पी.) अधिनियम, भी निर्लंबित हो जाते हैं, इसलिये कोविड महामारी के दौरान अशोक गहलोत सरकार द्वारा नियमों की भारी अवहेलना करते हुए एस.डी. आर.एफ.के फंड के उपयोग से अस्पतालों में आई.सी.यू. जैसे स्थाई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

1	राजस्थान सरकार आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग लाघ भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005 पत्रांक एफ.8(10) आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2024/ जयपुर, दिनांक: As per E-sing प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा-1, राजस्थान, जयपुर। विषय:- राज्य आपदा निधि से गैर अनुमत गतिविधि टर्नकी आधार पर NICU निर्माण पर अनियमित व्यय राशि रुपये 425.60 लाख एवं कार्य सम्पादन में पायी गयी अनियमितताओं के सन्दर्भ में। प्रसंग:- AAO/FP-64 का ई-मेल दिनांक 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) के क्रम में। महोदय, उपरोक्त विषयान्वत प्राप्त किए गए पत्र क्रमांक 19 के दौरान आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का राशि रुपये 10775.70 लाख की जारी प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 4896-4903 दिनांक 31.03.2021 के विरुद्ध मेडिकल कॉलेज जयपुर द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से गैर अनुमत गतिविधि टर्नकी आधार पर एम्बाइसीयू निर्माण पर अनियमित व्यय राशि रुपये 425.60 लाख एवं कार्य सम्पादन में पायी गयी अनियमितताओं के पर टिप्पणी चाही गयी है कि उक्त व्यय राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि तथा राज्य आपदा मोचन निधि हेतु अनुमोदित प्रक्रियों के अनुरूप अनुमूल्य थे अथवा नहीं? इस संबंध में निवेदन है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 33-4/2010-NDM-1 दिनांक 14.03.2020, 15.04.2021 के द्वारा कोविड-19 के लिए निमानुसार मद (ITEMS) स्वीकृत किये गये हैं:- Measures for quarantine, sample collection and screening: a. Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care, etc. for people affected and sheltered in quarantine camps (other than home quarantine) or for cluster containment operations. b. Cost of consumables for sample collection. c. Support for checking, screening and contact tracing. Procurement of essential equipments/labs response to COVID-19: for a. Cost of setting up additional laboratories within testing the Government and the cost of consumables. b. Cost of personal protection equipment for healthcare, municipal, police and fire authorities. c. Cost of Thermal Scanners, ventilators, air purifiers, oxygen generation and storage plant in hospitals, strengthening ambulance services for transport of patients, setting up containment zones, Covid-19 hospital, Covid-19 care centres and consumables for Government hospitals. गृह मंत्रालय (DM Division) भारत सरकार के द्वारा दिनांक 08.04.2025 एवं 10.10.2022 के द्वारा जारी एसडीआरएफ मद एवं नॉर्स के अनुसार निमानुसार प्राकृतिक आपदा स्वीकृत है:- Items Not Covered under SDRF/ NDRF (f) State Govt Buildings viz. departmental/office quarters, religions structures, patwarkhana, Court bungalow property and animal/bird sanctuary etc. (g) Long term/permanent restoration work. Signature valid Digitally signed by Shri. Anil Singh Designation: Joint Secretary To Government Date: 2024.12.26 16:45:10 IST Reason: Approved (मानव सिद्ध) संयुक्त शासन सचिव
---	---

2

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

लाघ भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

जयपुर, दिनांक 26-3-21

पत्रांक एफ.8(10)आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./एम्बई/2020/4-648-54

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या:- 48/2020-21

राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2021 में लिए गए निर्णय के संदर्भ में चिकित्सा शिक्षा विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग स्वास्थ्य सेवा प्रदान प्रमाण क्रमांक 1677 दिनांक 25.03.2021 द्वारा ICU, NICU, Other equipments and Ventilators for GMCs (as part of COVID care Management) हेतु निमानुसार उपकरण का प्रत्येक के लिए राशि रु 8520.00 लाख (अक्षर विधायी करोड़ बीस लाख रु. मात्र) की मांग की गयी है:-

S No	Medical College	Heads of Exp. (Required funds/amount)					Total Required Funds/Amount (Rs. in Lakh)
		ICU	NICU	Other equipments	Ventilators (5 to Each)		
1	Kota	750.00	1260.00	280.00 (MGPS & CGP)	75.0		2365.00
2	Udaipur	750.00	307.00	0.0	75.0		1132.00
3	Jodhpur	1300.00	460.00	0.0	0.0		1760.00
4	Ajmer	750.00	307.00	0.0	75.0		1132.00
5	Bikaner	750.00	227.00	0.00	75.0		1052.00
6	Bharatpur	456.00	0.00	0.00	0.0		456.00
7	Bhilwara	0.00	167.00	0.00	0.0		167.00
8	Bharatpur	456.00	0.00	0.00	0.0		456.00
Total							8520.00

चिकित्सा शिक्षा विभाग की मांग अनुसार कोविड-19 एसडीआरएफ मद से उपलब्ध प्राधानानुसार उपादानुसार उपकरण प्रत्येक के लिए राशि रुपये 8520.00 लाख (अक्षर विधायी करोड़ बीस लाख रु. मात्र) के निर्देशक प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से किए जाने की एतद् द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न बजट मद पर प्रभाव होगा-

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02- बाढ़ प्रकटात आदि

282- लोक स्वास्थ्य

(07)- (बाढ़ क्षेत्र में लोक-स्वास्थ्य)

[01]- (दवाइयों की पूर्ति)

22- सामग्री और प्रदाय (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत राशि रुपये 6390.00 लाख)

(राज्य निधि 26 प्रतिशत राशि रुपये 2130.00 लाख)

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-

- स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया को पालना सुनिश्चित की जाये।
- राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता को अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जाये। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से गिनियोजित किये जाने हेतु राशि का आहरण नहीं किया जायेगा।
- व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रमाण से प्रस्तुत किया जाये।
- व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के लिये संचय खुले रहेंगे।
- यह स्वीकृति विभागीय आदेश क्रमांक एफ.8(10)आ.प्र. एवं सहा./आ.प्र./2020/3783-89 दिनांक 20.03.2020 के अनुसार ही जारी की जाती है।

(हस्ताक्षर उपस्थित)
शासन संयुक्त सचिव

दस्तावेज (1) राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से संयुक्त शासन सचिव ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से नियमों को उद्धृत करते हुए बताया है कि एस.डी.आर. एफ. फंड का उपयोग मरीजों की जांच करने, “क्वार्टीन” करने और मेडिकल लैब में जरूरी उपकरण, पी.पी.पी. किट इत्यादि लेने के लिये किया जा सकता है। इस फंड का उपयोग स्थाई या लंबे समय के लिये उपयोग में आने वाले निर्माण कार्यों या मरम्मत कार्यों में नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक गहलोत सरकार को भी इस नियम कायदे की भली भांति जानकारी थी। दस्तावेज (2) इसलिये एस.डी.आर.एफ. फंड के उपयोग के लिये राज्य सरकार ने पहले आदेश में आई.सी.यू. व एन.आई.सी.यू. में वैटीलेटर तथा अन्य उपकरणों के खरीद के आदेश दिये हैं। परंतु बाद के आदेशों में शब्दों को गोल-मोल कर आई.सी.यू. के निर्माण कार्यों के आदेश कुछ गिनी-चुनी कंपनियों को दिये गये।

धनखड़ की टिप्पणी ने भारी विवाद उत्पन्न किया

धनखड़ की टिप्पणी के अनुसार, न्यायपालिका अनावश्यक रूप से विधायकों के काम में हस्तक्षेप कर रही है

—जाल खंबाता—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 19 अप्रैल। विवादास्पद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केन्द्र सरकार को दी गई अंतरिम राहत ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विशेषतौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बैंच की भूमिका को लेकर न्यायपालिका अभूतपूर्व जांच के दायरे में आ गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की हालिया टिप्पणियों ने विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन पर बहस को और तेज कर दिया है।

■ धनखड़ ने, कानून बनाने के मामले में संसद को सुप्रीम माना है, तथा सुप्रीम कोर्ट को सचेत किया कि, सुप्रीम कोर्ट का वक्फ संशोधन विधेयक के मसले पर “जुडिशियल ओवर रीच” (अनाधिकार चेष्टा) उचित नहीं है।

सत्रह अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, केन्द्र सरकार को वक्फ संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि विवादास्पद

प्रावधानों - जिनमें गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना और वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करना शामिल है- को अगले आदेश तक लागू नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 मई 2025 के लिए निर्धारित की है और सरकार को एक सप्ताह में विस्तृत जवाब (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्य अभियन्ता भरतपुर फ्लड कंट्रोल का मानचित्र पेश करें

जयपुर, 19 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिए बनाए गई सिटी फ्लड कंट्रोल डेन में हुए अतिक्रमण के मामले में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को 13 मई को व्यक्तिगतः हाजिर होकर मौजूदा स्थल पर राजस्व मानचित्र को सुपर इंपोज करते हुए मानचित्र पेश करने

■ हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को 13 मई को स्वयं पेश करने के आदेश दिये।

को कहा है। अदालत ने कहा कि मामला साल 2019 से लंबित है और अदालत ने गत वर्ष राज्य सरकार से यह रिकॉर्ड मांगा था। इसके बावजूद अब तक अदालत को सुपर इंपोज मानचित्र की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

धनखड़ की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आक्रामक टिप्पणी भाजपा का पलटवार है न्यायपालिका के खिलाफ?

ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा हाईकमान, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि पर राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिये समय अवधि का अंकुश लगाने से बहुत खिन्न है

—रेणु मिश्र—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 19 अप्रैल। ऐसा प्रतीत होता है कि यह देश की सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय पर बहुत सोचा-समझा तथा सावधानीपूर्वक तथा योजनाबद्ध रूप से तैयार किया हुआ हमला है, जिसे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अंजाम दिया गया है। ऐसा लगता है कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बुरी तरह व्याकुल तथा आहत होने के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सर्वोच्च

■ उप राष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि, आर्टिकल 142 प्रजातंत्र ताकतों के खिलाफ छोड़ा गया न्युक्लियर मिसाइल है।

■ धनखड़ के बाद भाजपा के सांसद निशिकान्त दुबे ने और भी रंगीन व असंसदीय भाषा में सुप्रीम कोर्ट को कोसा।

■ अब तक भाजपा की पूर्णतया चल रही थी, संसद में उठाये गये सभी मुद्दों पर, अब पहली बार अवरोध का सामना करना पड़ रहा है, अतः न्यायपालिका को टारगेट बनाया गया है, इतने आक्रामक तरीके से।

न्यायालय को काबू में लेने के प्रयास शुरू कर दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ

अत्यन्त कठोर और निरानुपूर्वी भाषण की पहल देश के उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने की थी

और अब उन्हीं का अनुसरण भाजपा सांसद निशिकान्त दुबे ने किया है, जिनका उपयोग भाजपा का शीर्ष नेतृत्व विपक्ष के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग करने तथा खरी-खोटी सुनाने के लिए प्रायः करता रहता है। राज्यपाल रवि द्वारा स्टालिन सरकार के विधेयकों को रोक रखने तथा उन पर कुण्डली मार कर बैठे रहने को सर्वोच्च न्यायालय ने नरमी से नहीं लिया था। न्यायालय ने दृढ़ तात्पूर्वक कह दिया था कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल यह सुनिश्चित करें कि उनके पास भेजे गये (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अपहरण कर कई दिन दुष्कर्म करने वालों को 20 साल की सजा

जयपुर, 19 अप्रैल। जिले की पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवकों को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने 22 वर्षीय इन अभियुक्तों पर कुल 6.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्तों में से एक, पीडिता की

■ पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत ने अभियुक्तों पर 6.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाभी का भाई और दूसरा उसका दोस्त है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवांसिया ने अपने आदेश में कहा कि इन दिनों अवयस्क बालिकाओं के साथ लैंगिक अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उचीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

व्याधिक्षमत्व बढ़ाने के लिये168 मिनट प्रति सप्ताह वनानुभव लीजिये

प्राचीन भारत के महर्षि-वैज्ञानिक पुनर्वसु आत्रेय को चिकित्सा व स्वास्थ्य-रक्षण के एक ऐसे सिद्धांत का जनक माना जाता है जिसे आज वनानुभव और प्रकृति-अनुभव (फॉरेस्ट – एक्सपीरियंस, नेचर-एक्सपीरियेंस) आदि नाम से जाना जाता है। स्वास्थ्य-रक्षण और रोगोपचार में प्राकृतिक स्थलों की भूमिका का आयुर्वेद में कम से कम 1000 साल ईसा पूर्व से वर्णन प्राप्त होता है। हाल ही में हुई शोध अब यह निर्विवाद सिद्ध करती है कि प्रकृति का सानिध्य हमारे संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और बायोफिजियोलॉजिकल स्वास्थ्य में सुधार करता है। परन्तु सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2022 तक की शोध अब यह निर्विवाद सिद्ध कर चुकी है कि वनानुभव से ह्यूमन नेचुरल किलर सेल्स की क्रियात्मकता बढ़ने और इम्यूनेमेशन कम होने सहित अनेक रोगों के माध्यम सेइम्यूनिटी बढ़ती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात है। आत्रेय के शिष्य अग्निवेश ने अपने गुरु से एक प्रश्न किया: भगवन! देखने में आता है कि हितकारी आहार का उपयोग करते हुये भी कुछ लोग रोगी हो जाते हैं, जबकि अहितकारी आहार लेते हुये भी कुछ लोग निरोगी देखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या अच्छा है और क्या बुरा इसकी पहचान कैसे की जाये? इस प्रश्न का जो उत्तर आत्रेय ने दिया, वह आज भी यथावत विज्ञान-संत है।

आत्रेय का उत्तर था: अग्निवेश ! हितकारी आहार करने वाले लोगों में आहार के कारण होने वाले रोग उत्पन्न नहीं होते और हितकारी आहार लेने मात्र से समस्त रोगों का भय दूर नहीं हो जाता। हानिकारक भोजन के अलावा भी रोगों के तमाम कारण, जैसे ऋतुओं का विपरीत होना, प्रज्ञापराध या जानबूझकर गलती करना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का अतियोग, मिथ्या योग एवं विषम योग आदि ऐसे कारण हैं जो उचित भोजन लेने के बावजूद भी मनुष्य को बीमार कर देते हैं। इसीलिये हितकारी आहार लेने वाले रोगी हो जाते देखे जाते हैं। हानिकारक आहार का उपयोग करने वालों में पथ्य, आहार, व शरीर की स्थिति में भिन्नता होने से हानिकारक आहार तुरन्त हानि नहीं पहुँचा पाते। सभी अपथ्य बराबर दोष वाले नहीं होते, न ही सभी दोष बराबर बलवान होते, और न सभी शरीर व्याधिक्षमत्व या रोग प्रतिरोधक क्षमता से संभ्रंण होते (न च सर्वाणि शरीराणि व्याधिक्षमत्वे समर्थानि भवन्ति। च.सू.28.7)। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एक ही अपथ्य आहार जगह, समय, संयोग, वीर्य, व मात्रा की भिन्नता के कारण या ज्यादा खा लेने से और अधिक अपथ्य हो जाता है।वही दोष विविध कारणों से, विरुद्ध चिकित्सा वाला, धातुओं में पहुँचा हुआ, शरीर के प्राणायनों में उत्पन्न, मर्म पर चोट करने वाला, अत्यंत कष्टदायी अतिशय जल्दी रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है।अंत में आत्रेय यह भी बताते हैं कि मूल रूप से शरीर की बनावट भी नैसर्गिक व्याधिक्षमत्व पर प्रभाव डालती है। बहुत मोटे याबहुत दुबले लोग, रक्त, मांस, व अस्थियों के सुसंगठित न होने के कारण बेडौल शरीर वाले लोग, दुर्बल, अल्पसत्त्व या कमजोर मनोबल वाले लोगों में रोगों को सहने की क्षमता नहीं होती। जबकि इनके उलट लक्षणों वाले लोगों में रोगों को सहने की क्षमता होती है। इन अपथ्य आहारों, दोषों व शरीर की भिन्नता के कारण बीमारियों भी कम या ज्यादा, जल्दी या देर से उत्पन्न होती हैं। जिस व्यक्ति का सहज (इनेट) या युक्तिकृत (डेटाइन्ड) व्याधिक्षमत्व मजबूत है वह भुश्किल से ही बीमार पड़ता है। यदि बीमारपड़ भी जाये तो बीमारी अपना बल भुश्किल से ही दिखा पाती है।व्याधिक्षमत्व में दो शब्द निहित हैं, व्याधि एवं क्षमत्व।व्याधि का तात्पर्य शरीर की धातुओं (रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र) में विषमता उत्पन्न होना है। क्षमत्व से तात्पर्य इस विषमता को न होने देने की क्षमता है। मानसिक बीमारियों के सन्दर्भ में सत्त्व गुण जितना अधिक होगा, व्याधिक्षमत्व उतना ही बेहतर होगा। शरीर में सहज व्याधिक्षमत्व के सन्दर्भ में यह बात महत्वपूर्ण है कि शरीर में दुरुस्त मांसपेशियों, संरचना, स्वरूप व मजबूत हड्डियों वाला व्यक्ति रोगों के बल से कभी प्रभावित नहीं होता। भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, व्यायाम को ठीक से सहन करने वाला, सम अग्नि वाला, बुढ़ापे की उम्र में ही बुढ़ा होने वाला, मांसपेशियों के सही चयन वाला व्यक्ति ही स्वस्थ है (च.सू.21.18): सममांसप्रमाणस्तु समसंहननो नरः। दृढेन्द्रियो विकारार्ण न बलेनाभिष्वेयते।।शुक्तिपासायतपसहः शीतव्यायामसंसहः। समपक्ता समजरः सममांसचयो मतरः॥

आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भ में व्याधिक्षमत्व को इम्यूनिटी कहा जाता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र संक्रमण, बीमारी या अन्य अवांछित तत्वों के आक्रमण से बचने के लिये शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। व्याधिक्षमत्व में कमी होने से शरीर इम्यूनेो-कॉम्प्रोमाइड स्थिति में आ जाता है। ऐसी स्थिति में शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता कम होने सेरोगजनन आसानी से होता है।इम्यूनिटी किसी व्यक्ति के शरीर में विशिष्ट एन्टीबॉडी या स्वेयरक्त कोशिकाओं की क्रिया से किसी विशेष संक्रमण, विषाक्त पदार्थ या हानिकारी जीवन-शैली से होने वाले रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता के रूप में समझा जाता है।

आधुनिक वैज्ञानिक संदर्भ में व्याधिक्षमत्व को इम्यूनिटी कहा जाता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र संक्रमण, बीमारी या अन्य अवांछित तत्वों के आक्रमण से बचने के लिये शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है।

तेज गति से सबसे पहले अपना काम करती है।एडाप्टिव- इम्यूनिटी की क्रियात्मकता तुलनात्मक रूप से धीमी होती है। इस तंत्र में टी-कोशिकाओं, बी-कोशिकाओं और एंटीबॉडी जैसी व्यवस्था है जो विशिष्ट रोगजनकों पर प्रतिक्रिया देता है। यह तंत्र इम्यून्-मेमोरी के लिये भी उत्तरदायी है जो मानव में पहले हुई कुछ बीमारियों को पहचानता है और दुबारा नहीं होने देता। मेमोरी बी-सेल नामक कोशिकायें पैथोजेन को पहचानती हैं, और दुबारा संक्रमण होने पर त्वरित-प्रतिक्रिया करते हुये संक्रमण को निष्फल करने का काम करती हैं। हालाँकि नवीन शोध यह बताती है नेचुरल-किलर कोशिकायें भी एडाप्टिव-इम्यूनिटी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन कर सकती हैं। जो भी हो, गड़बड़ तब होती है जब कुछ वायरस या माइक्रोब्य अपने पूर्व रूप से म्यूटेट या उत्परिवर्तित होकर इम्यून्-मेमोरी (प्रतिरक्षा स्मृति) को गच्चा दे देते हैं।

व्याधिक्षमत्व को परिभाषित करते हुये चरकसंहिता के दिग्गज टीकाकार आचार्य चक्रपाणि ने लगभग 900 साल पहले लिखा (च.सू. 28.7 पर चक्रपाणि): व्याधिक्षमत्वं व्याधिलक्षणीयत्वं व्याध्युत्पादप्रतिबन्धकत्वमिति यावत्। तात्पर्य यह है कि व्याधिवल की विरोधिता व व्याधि की उत्पत्ति में प्रतिबंधक होना व्याधिक्षमत्वहै। अभिप्राय यह है कि शरीर में उत्पन्न बीमारी के बल या तीक्ष्णता को रोकनेऔरबीमारी की उत्पत्ति को रोकने वाली क्षमता को व्याधिक्षमत्व कहा जाता है। व्याधिक्षमत्व को बल, ओज और प्राकृत श्लेष्माके रूप में भी जाना जाता है। बल वह शक्ति है जिसके द्वारा शरीर विभिन्न चेष्टाओं से कार्य संपन्न करता है। इस कार्योत्पादक शक्ति को व्यायाम-शक्तिसे जाना देखा जाता है। बल के तीन प्रकार हैं (च.सू.11.36):।त्रिविधं बलमिति- सहजं, कालजं, युक्तिकृतं च। सहजं यच्छरीरसत्त्वयोः प्राकृतं, कालकृतमुत्पुविभागजं वयःकृतं च, युक्तिकृतं पुनस्तद्वहादृष्टयोर्गजम्।बल तीन प्रकार के होते हैं। सहज बल शरीर और मन पर आधारित होता है। उम्र के साथ शरीर की वृद्धि से प्राप्त बल को कालज बल कहा जाता है। खान-पान, जीवन-शैली और व्यायाम आदि की युक्ति से प्राप्त बल को युक्तिवृत्त बल कहा जाता है। रोग से रक्षा करने वाले को बल कहा जाता है। व्याधिक्षमत्व को ओज और ओज को बल के रूप में भी समझा जाता है (सु.सू.15.19)।रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत् परं तेजस्तत् खल्वेजस्तदेव बलमिष्युच्यते स्वशास्त्रसिद्धान्तात्।।रसादिक तथा शुक्रान्त धातुओं के उच्छ्रेष्ट सार भाग को ओज कहते हैं तथा आयुर्वेद के अनुसार उसी का दूसरा नाम बल है। यही बल व्याधियों से शरीर की रक्षा करता है। यहाँ एक बात समझना आवश्यक है ओज और बल हालाँकि एक कहे गये हैं किन्तु ओज को कारण और बल को कार्य माना जाता है। यहाँ व्याधिक्षमत्व के सन्दर्भ में बल (कार्य) और कारण (ओज) को एक मान लिया जाता है।इसी सन्दर्भ में प्राकृत बल को बल या व्याधिक्षमत्व का कारण माना जाता है (च.सू.17.117):। प्राकृतस्तु बलं श्लेष्माविकृतो बल उच्यते। स वैवीजः स्मृतः काये स च पापोमपदिश्यते।। यही कारण है कि कफज प्रकृति में उत्तम बल, पित्तज प्रकृति के व्यक्तियों में मध्यम बल तथा वातज प्रकृति के व्यक्तियों में अवर बल होता है। इस प्रकार व्याधिक्षमत्व का तात्पर्य व्याधि-बल का विरोध शरीरात बल द्वारा किया जाता है। व्याधिक्षमत्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न भावों को दर्शाविह रोगी परीक्षा के भावों में भी देखा जाता है। उदाहरण के लिये व्यक्ति की मूल प्रकृति का बल से सीधा सम्बन्ध होता है। सबसे उत्तम सम प्रकृति (वात-पित्त-कफज) है, परन्तु किसी जनसंख्या में समप्रकृति वाले बहुत कम होते हैं। अतः व्यवहार में कफ प्रकृति वालों को बेहतर बल वाला माना जाता है। इसके साथ ही सार भी बल को प्रभावित करता है। सारयुक्त से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति में साररूप धातुओं का नियमित निर्माण होता है। सार धातुओं के सम्यक प्रकार से उत्पन्न होते रहने पर शरीर में व्याधिक्षमत्व बढ़िया बना रहता है। जैसा कि पूर्व में चर्चा की गयी है, बल का मुख्य कारक ओज है जो सभी धातुओं का सार है। साररूप में यह सभी धातुओं में व्याप्त होकर धातुओं की रक्षा करता है। व्याधिक्षमत्व को प्रभावित करने वाले अन्य भावों में सत्य, स्वयं, अग्नि, शारीरिक-शक्ति व चयन हैं। अग्निबल को आधार करने की क्षमता से परखा जा सकता है। आहार-शक्ति (आहार की मात्रा) अग्निबल पर आश्रित है। यदि व्यक्ति को आहार शक्ति मजबूत है तो भोजन का पाचन और धातुओं की पुष्टि यथोचित होने से शरीर मजबूत रहता है। व्यायाम-शक्ति या शारीरिक रूप से श्रम करने की शक्ति भी बल का संकेतक है। व्यक्ति की वय या उम्र का भी बल से संबंध होता है। युवावस्था में उत्तम बल और जरा या बुढ़ापे आने पर बल कम रहता है। व्याधिक्षमत्व बढ़ाने के लिये बल व ओज की वृद्धिमें सहायक द्रव्यों और क्रियाओं का इस प्रकार युक्तिपूर्वक नियमित सेवन करना चाहिये, जिससे व्याधिक्षमत्व का संरक्षण व वृद्धि हो किन्तु प्रकृति, अग्नि, धातुओं व मलक्रिया का समत्व तथा आत्मा, इन्द्रियों व मन की प्रसन्नता यथावत बनी रहे। संक्षेप में व्याधिक्षमत्व बढ़ाने के लिये सात रक्षा-दीवारों की निरंतर और सम्यक सार-सम्हाल करना आवश्यक है। इनमें आहार या खानपान, विहार या जीवनशैली, स्वस्थ वृत्त या व्यक्तिगत स्वास्थ्य विषयक क्रियायें, सद्गुत या व्यक्तिगत सदाचरण, सदाचरण या शारीरिक विषाक्तता को बाहर करने के लिये आयुर्वेद की पांच प्रक्रियायें, रसायन या उम्र-आधारित रोगजनक को रोकने हेतु कायाकल्प उपाय, और अंततः औषधि या चिकित्सा शामिल हैं। परन्तु वनानुभवइन सबसे ऊपर है।प्रति सप्ताह कम से कम 168 मिनट वनों, उपवनों और हरियाली में बिताइये। यहाँ एक साथ वनवास काटने की बात नहीं है बल्कि प्रतिदिन थोड़ा वनानुभव अवश्य लीजिये। इससे इम्यूनिटी बढ़ने के साथ प्रसन्नता, आत्म-सम्मान, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में धनात्मक सुधार होगा। यह शास्त्र-सिद्ध, शोध-सिद्ध और स्थापुनृत है।

डॉ. दीप नारायण पाण्डेय (भारतीय वन सेवा से सेवानिवृत्त तथा वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में बिजिटिंग प्रोफेसर)

यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत' से प्रेरित हैं।



अशोक कुमार

उच्च शिक्षा के प्रशासन के संबंध में राजनीतिक परिदृश्य निश्चित रूप से चुनौतियाँ पेश कर सकता है, और इनका समाधान विश्वविद्यालयों के प्रभावी कामकाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई बाहरी या राजनीतिक हस्तक्षेप न हो और कुलपति को विश्वविद्यालय चलाने की पूर्ण स्वतंत्रता मिले, मेरे कई सुझाव हैं। यह अकादमिक उत्कृष्टता और स्वतंत्र विचारों को बढ़ावा देने के लिए एक बुनियादी पहलू है। विश्वविद्यालय अधिनियम और परिनियम में संस्थान की स्वायत्तता और कुलपति की शक्तियाँ और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इस कानूनी ढाँचे को शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों में कुलपति को अनुचित बाहरी दबावों से स्पष्ट रूप से बचना चाहिए।

कुलपति के चयन की प्रक्रिया कठोर, पारदर्शी और पूरी तरह से शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता के आधारित होनी

चाहिए। इसमें प्रख्यात शिक्षाविदों की एक प्रतिष्ठित खोज समिति शामिल होनी चाहिए, जिसमें प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व न्यूनतम या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चयन के मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर योग्य और संभावित उम्मीदवारों का एक कॉलेजियम होना चाहिए। पात्रता मानदंड स्पष्ट, पारदर्शी और स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए और किसी भी स्तर पर किसी भी व्याख्या के अधीन नहीं होना चाहिए। चुने गए उम्मीदवारों द्वारा दस मिनट की प्रस्तुति दी जानी चाहिए, और उसमें से तीन उम्मीदवारों का एक फैल तैयार किया जाना चाहिए। कुलाधिपति / राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सहमति की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। कुलपति को एक निश्चित कार्यकाल प्रदान करना, जिसमें मममानी बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा उपाय हों, उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के डर के बिना विश्वविद्यालय के दीर्घकालिक हितों के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाएँ। किसी भी बर्खास्तगी केवल सिद्ध कदाचार या कर्तव्य की उपेक्षा के आधार पर, शैक्षणिक विशेषज्ञों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच प्रक्रिया के बाद ही होनी चाहिए।

विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या सिंडिकेट को महत्वपूर्ण शैक्षणिक और वित्तीय अधिकार प्रदान करना, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षाविद और डोमेन विशेषज्ञ शामिल हों, बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ एक अवरोधक के रूप में कार्य कर सकता है। कुलपति, शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रमुख के रूप में, इस स्वतंत्र निकाय के प्रति जवाबदेह

होंगे। विश्वविद्यालय के भीतर एक मजबूत आंतरिक संस्कृति को बढ़ावा देना जो संकाय और छात्रों के लिए शैक्षणिक स्वतंत्रता को महत्व देती है और उसकी रक्षा करती है, स्वाभाविक रूप से बाहरी हस्तक्षेप का प्रतिरोध पैदा करेगी। कुलपति को इस संस्कृति का एक मजबूत समर्थक होना चाहिए। निष्पक्ष और न्यायसंगत शासन के लिए कुलपति की निष्पक्षता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसे सुनिश्चित करने के लिए खोज समिति को विशेष रूप से सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और शैक्षणिक उत्कृष्टता और संस्थागत तटस्थता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता के प्रदर्शित ट्रैक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की तलाश करनी चाहिए।

कुलपति और अन्य विश्वविद्यालय अधिकारियों के लिए आचार संहिता और नैतिकता का एक स्पष्ट कार्यान्वयन, जो निष्पक्षता और जवाबदेही पर जोर देता है। यह संहिता सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए और उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए तंत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने चाहिए। नियुक्तियों, प्रवेश और वित्तीय आवंटन जैसे प्रमुख निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने से वि्वास बनाने और पक्षपातपूर्ण कार्यों के दायरे को कम करने में मदद मिल सकती है। विश्वविद्यालय समुदाय के लिए प्रासंगिक जानकारी को सुलभ बनाना एक जांच के रूप में कार्य कर सकता है। आंतरिक लेखा, परीक्षा समितियाँ और शिकायत निवारण प्रकोष्ठों जैसे मजबूत आंतरिक निरीक्षण तंत्र स्थापित करना, पक्षपात या अनुचित

प्रथाओं के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए रास्ते प्रदान कर सकता है। इन निकायों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। कुलपति की नियमित और वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन समीक्षा करना, पूर्व-परिभाषित शैक्षणिक और प्रशासनिक मैट्रिक्स के आधार पर, उनके नेतृत्व का आकलन करने और उनके कामकाज में किसी भी संभावित पूर्वाग्रह की पहचान करने का अवसर प्रदान कर सकता है। वह क्या तंत्र है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुलपति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के हित में साहसिक और निडर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त रूप से साहसी हों? जबकि चयन प्रक्रियाएं संभावित व्यक्तियों की पहचान कर सकती हैं, एक ऐसा वातावरण बनाना जो साहसिक और निडर निर्णय लेने को प्रोत्साहित करे, उतना ही महत्वपूर्ण है।

शासी निकायों और राज्य सरकार (राजनीतिक संबद्धता के बावजूद) को कुलपति को वास्तविक अधिकार प्रदान करने और उनके शैक्षणिक नेतृत्व में विश्वास प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। सूक्ष्म प्रबंधन या लगातार संदेह करना साहसिक पहलों को दबा सकता है। एक ऐसा विश्वविद्यालय वातावरण बनाना जो नवाचार, आलोचनात्मक सोच और शैक्षणिक उत्कृष्टता को खोज में परिकलित जोखिम लेने की इच्छा को प्रोत्साहित करता है, कुलपति को साहसिक निर्णय लेने में सहायता करेगा। इसमें नवीन विचारों का प्रस्ताव करने वाले संकाय की सुरक्षा शामिल है। ऐसे तंत्र मौजूद होने चाहिए जो कुलपति को उन निर्णयों के लिए

अनुचित आलोचना या प्रतिक्रिया से बचाएं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के दीर्घकालिक हित में हैं, भले ही वे अल्पकालिक में अलोकप्रिय हों या राजनीतिक विरोध का सामना करें। इसके लिए संस्थागत स्वायत्तता की परिपक्व समझ की आवश्यकता है।

जबकि कुलपति को निर्णायक होने की आवश्यकता है, संकाय, छात्रों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श की संस्कृति को बढ़ावा देने से अधिक सूचित और अंततः अधिक प्रभावी निर्णय हो सकते हैं, जिससे साहसिक पहलों के लिए व्यापक समर्थन बन सकता है। कुलपति द्वारा शुरू किए गए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तनों और सुधारों को सार्वजनिक रूप से पहचानना और सराहना करना साहसिक नेतृत्व के मूल्य को सुदृढ़ कर सकता है।

अंततः, उच्च शिक्षा के प्रभावी और निष्पक्ष प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों – सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन, संकाय, छात्रों और व्यापक समुदाय – से स्वायत्तता, पारदर्शिता और शैक्षणिक उत्कृष्टता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक सामूहिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। जबकि कुछ सुझाव आदर्शवादी लग सकते हैं, विश्व स्तरीय संस्थानों के निर्माण के लिए इन आदर्शों के लिए प्रयास करना आवश्यक है।

—अशोक कुमार, पूर्व कुलपति कामपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

ईस्टर संडे-रंग बिरंगे अंडे



डॉ. जे. के. गर्ग

ईसाई धर्म को मानने वालों की मान्यता है कि गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह को सूली पर लटका दिया गया था किंतु यीशु मसीह मृत तीन दिन बाद पुनर्जीवित हो गये थे। इसी दिन को ईसाई समुदाय दुनिया भर में

ईस्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। ईस्टर साधारणतया संडे यानी रविवार के दिन ही मनाया जाता है। इस वर्ष ईस्टर 18 2025 रविवार को मनाया जाएगा। ईसाई धर्म को मानने वालों के लिये ईस्टर अत्यधिक महत्वपूर्ण और पवित्र दिन होता है क्योंकि इसी दिन यीशु मसीह पुनर्जीवित होने के साथ जीवन की आशा एवं प्रभु ईसा मसीह के प्रति विश्वास का प्रतीक है। ईस्टर का पर्व साल के किसी निश्चित दिन को नहीं मनाया जाता बल्कि इसकी तारीख हर साल साधारणतया बदलती रहती है। ईस्टर को 40 दिनों तक मनाया जाता है क्योंकि मान्यता के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह एस पावन धरती पर लगभग चालीस दिनों तक रहे और उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेम

सद्भाव का पाठ पढ़ाया। इस दौरान सभी ईसाई उपवास, प्रार्थना करते हैं और अपनी गलतियों के लिये प्रार्थयित करते हैं।

ईस्टर में अंडे का बहुत महत्व है क्योंकि, जिस प्रकार चड़िया सबसे पहले, अपने घोंसले मे अंडा देती है, उसके बाद उसमे से चूजा निकलता है उसी प्रकार, यहा अंडे को एक शुभ स्मारक माना जाता है क्योंकि अंडा अपनी जड़ता को तोड़ करके एक नये प्राणी को जन्म देता है। वास्तव के अंदर ईस्टर का संदेश है कि जो जड़ता को तोड़े, वही है असली जीवन होता है। ईस्टर पर लोग अण्डों पर विभिन्न रंगों में कलाक़रति एवं च्चकारी करके अपने स्वजनों मित्रों को उपहार के रूप में भेंट करते है। ईसाई लोग चर्च गिरजा घर

जाकर प्राथ्नाप्राथ्ना करके माँ बतियां जलाते हैं। ईस्टर को दिन अपनी दुश्मनी को मिटाकर एक-दूसरों से गले मिलते हैं। ईसाईयों का मानना है कि जिस प्रकार अंडें में से नया जीव जन्म लेता उसी तर ईस्टर के दिन वे परस्पर इष्ट मित्रों और परिजनों को नये सुखमय स्वस्थ जीवन को जीने की शुभ कामनाएं देते हैं। कहीं पर अण्डों पर चिचकारी करके, कही दुसरे रूप मे सजा कर, उपहार के रूप मे परस्पर एक दूसरे को दिया जाता है। सभी एक-दूसरे को गिफ्ट्स, फ्लावर्स, कार्ड, चोकलेट, केक देकर परस्पर शुभकामनाएं एवं बधाईयें देते है। सुबह से राधा तक पाटी चर्चती है ईस्टर मे जिसमे, पारंपरिक लोकप्रिय लंच-डिनर होता है। भारत में मुख्य रूप से

मुंबई, गोवा और पूरे भारत में जहां भी अधिकतर क्रिश्चियन लोग निवास करते है वहां पर चर्च को विशेष रूप से, सजाया जाता है। कनाड़ा में विक्च की सबसे बड़ी ईस्टर एग की साइट है। पश्चिमी ईसाई धर्म के लोग ईस्टर सीजन के दौरान ऐश वेड्‌नस्डे को उपवास रखना शुरू करते हैं और ईस्टर संडे को अपने उपवास का अंत करते हैं। भारत मे ही नहीं बल्कि, सम्पूर्ण विश्व मे जहा गुड फ्राइडे को शांति से बनाते है वही ईस्टर को उत्तनी ही धूम-धाम से बनाया जाता है। ईस्टर का असली संदेश यही है कि असली और सुखमय जीवन वो ही है जो जड़ता को तोड़े।

—डॉ. जे. के.गर्ग, पूर्व संयुक्त निदेशक कालेज शिक्षा, जयपुर

राजस्थान : चैत्र मास के समापन के साथ भीषण गर्मी का आगमन

त्यूहारों से तपन तक : राजस्थान की आग बरसाती गर्मियां



श्वेता यादव

राजस्थान, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विस्तृत मरस्थलीय भूभाग के लिए विश्वविख्यात है। यहां जैसे ही चैत्र मास और नवरात्रि का पावन समय समाप्त होता है, वैसे ही सूर्य देव अपनी प्रचंडता के साथ धरती पर अपनी तपिश बिखेरने लगते हैं। यह समय प्रदेशवासियों के

लिए सतर्कता और सावधानी बरतने का संकेत देता है, क्योंकि भीषण गर्मी अपने चरम पर होती है।

गर्मी का प्रभाव और सावधानियां :-गर्मी के मौसम में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, जैसलमेर में अप्रैल से जून के बीच तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। इसी प्रकार, चूरू, जिसे राजस्थान का तपता तंदूर कहा जाता है, वहां भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ऐसे में, स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को कई सावधानियां बरतनी चाहिए।

पर्याप्त जल का सेवन :-शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए दिनभर में अधिक मात्रा में पानी पिएं।

हल्के रंग के कपड़े पहनें :-गर्मी से बचने के लिए सूती और हल्के रंग के कपड़े उपयुक्त होते हैं।

धूप से बचाव :-बाहर निकलते

समय छाता या टोपी का प्रयोग करें और सनस्क्रीन लगाएं।

भोजन पर ध्यान दें :-ताजे फल, सब्जियां और हल्का भोजन करें; तले हुए और भारी भोजन से बचें।

पर्यटन पर प्रभाव :-गर्मी के मौसम में राजस्थान का पर्यटन उद्योग प्रभावित होता है। विदेशी और देशी पर्यटक इस समय कम संख्या में आते हैं, जिससे स्थानीय व्यवसायों पर असर पड़ता है। हालांकि, कुछ साहसी पर्यटक इस मौसम में भी थार मरस्थल की सैर करना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी संख्या सीमित होती है।

जल संकट और जीव-जंतु :-मरस्थलीय क्षेत्रों में जल संकट गर्मियों में और भी गंभीर हो जाता है। पानी की कमी के कारण न केवल मनुष्य बल्कि

पशु-पक्षी भी प्रभावित होते हैं। तालाब, कुएं और नदियां सूखने लगती हैं, जिससे जीव-जंतुओं को पानी की तलाश में दूर-दूर तक भटकना पड़ता

है। ऐसे में, स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को जल संरक्षण के उपाय अपनाने चाहिए, जैसे:

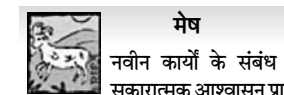
वर्षा जल संचयन :-बारिश के पानी को संचित करने के लिए टांके और जलाशयों का निर्माण।

पशु-पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था :-सार्वजनिक स्थानों और घरों के बाहर पानी के पात्र रखना।

जल उपयोग में मितव्ययिता :-अनावश्यक जल व्यय से बचना और रिसाव रोकना।

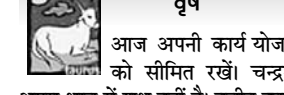
राजस्थानी कहावतें और गर्मी :-राजस्थान की संस्कृति में गर्मी से संबंधित कई कहावतें प्रचलित हैं, जो इस मौसम की तीव्रता और उससे बचाव के उपायों को दर्शाती हैं। कुछ प्रमुख कहावतें इस प्रकार हैं।

“**चैत्र मास की धूप, गंधे को भी छांव में खड़ा करे**।” अर्थात्, चैत्र महीने की धूप इतनी तीव्र होती है कि गंधा भी छांव की तलाश करता है।



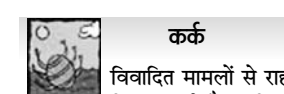
मेघ

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशासन प्राप्त होगा। अटकें हूए कार्य बने लगेगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। आज खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।



वृष

आज अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अग्रम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। मित्रों/रिश्तेदारों आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं।



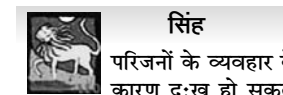
मिथुन

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



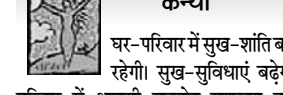
कर्क

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यक्तिगत परेशानियां दूर होने लगेगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। आज शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।



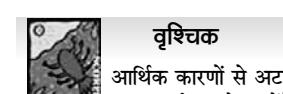
सिंह

परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। आज आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।



कन्या

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।



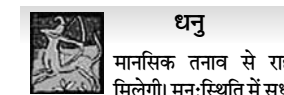
तुला

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।



वृश्चिक

आर्थिक कारणों से अटकें हूए कार्य बने लगेगे। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। आज अटकें हूए कार्य बने लगेगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।



धनु

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। आज आवश्यक

सार-समाचार

विकास कार्यों का किया शुभारंभ

अजमेर (कासं)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने तथा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ विकास के लिए विकास कार्यों की एक नई श्रृंखला का शुभारंभ किया। इसमें 4 करोड़ 82 लाख रुपये की लागत के नाला निर्माण एवं 14.30 लाख रुपये की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। देवनानी ने ग्राम बोराज से कीर्ति नगर तक और रामेश्वर स्कूल से बीके कौल नगर तक बनने वाले नाले के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह निर्माण कार्य 4 करोड़ 82 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। इसके निर्माण से क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त होगी। इससे बरसात के मौसम में जलभराव की समस्याओं से निजात मिलेगी और नागरिकों को साफ-सुथरा एवं स्वास्थ्यकर वातावरण प्राप्त होगा। इस अवसर पर देवनानी ने कहा हमारा निरंतर प्रयास है कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विकास हो और नागरिकों को हर प्रकार की सुविधा सुलभ हो। जल निकासी की समस्या को दूर करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य आरंभ किए गए हैं, जो शीघ्र ही परिणाम देने लगेंगे। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा वरुण सागर रोड स्थित एमएस रावत कॉलोनी में भी सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 14.30 लाख रुपये की लागत से पूर्ण किया जाएगा। इस सड़क से स्थानीय निवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही क्षेत्र के समग्र विकास में भी यह योगदान करेगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सड़क तंत्र के विकास से लोगों की दैनिक आवाजाही सुगम होने के साथ ही क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलती है। एक मजबूत और आधुनिक सड़क नेटवर्क, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक मोहल्ला और कॉलोनी तक बेहतर सड़क सुविधाएं पहुंचें ताकि कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता न रहे। इस अवसर पर गुलाब सिंह रावत, पंचायत समिति सदस्य महेंद्र सिंह बोराज, शक्ति सिंह कच्छावा, विवेक सिंह रावत मोनु सिंह ,रोहित सिंह , सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश

मदनगंज-किशनगढ़,(निस्) 1 -न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुश्तैनी संपति के फर्जी कागजात तैयार करने के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पीडित नया शहर निवासी चंद्रकामा रेगर ने एडवोकेट रुपेश शर्मा व मुकेश शर्मा के माध्यम से अदालत की शरण में जाकर न्याय की गुहार लगाई। इसका कहना है की रेगरान मोहल्ला नया शहर निवासी आरोपी भागचंद, शुभम उर्फ शनि, रवि उर्फ धीसु, अरुण, नितेश, संदीप, गुड्डि, कमला नेपुश्तैनी संपति के मकान के फर्जी दस्तावेज तैयार कर नगर परिषद में पट्टा बनाने के लिये आवेदन कर दिया, जबकि रेगरान मोहल्ला में स्थित मकान परिवारी के पिता स्व. सोयमप्रकाश के नाम रजिस्टर्ड 1988शिशुनामा है, जो परिवारी की दादी लक्ष्मी देवी ने दिनांक 11 अगस्त 20१४ को परिवारी के पिता स्व सोयम प्रकाश के पक्ष में निष्पादित की थी। कब्जा भी इनके पास है। इन सब के बावजूद आरोपियो ने पट्टा बनाने के लिये आवेदन कर दिया। पीडित ने किशनगढ सिटी थाना में रपट भी दी, पर कार्यवाही नहीं किये जाने पर अदालत की शरण में जाकर उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की फरियाद की। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एडवोकेट रुपेश शर्मा व मुकेश शर्मा के तर्कों से सहमत होते हुए किशनगढ थाना पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

पुलिया निर्माण की मांग

मदनगंज-किशनगढ़,(निस्) 1 राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल रामरोडी प्रबंध समिति अध्यक्ष विपिन काबरा के नेतृत्व में विद्यालय की समस्या को लेकर केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष काबरा ने अवगत कराया की कक्षा एक से 12वी तक उपखंड की अठोड़ी माध्यम सबसे बड़ी स्कूल में 5/४ विद्यार्थी अध्ययनरत है। इस विद्यालय के पास भाग्योदय कॉलोनी स्थित गार्डन के सामने से नाले पर एक पुलिया का निर्माण होने से आवागमन में राहत मिल सकेगी। इसका कारण है की हाउसिंग बोर्ड कृष्णापुरी स्कूल से आने वाले विद्यार्थियों को तीन किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर क्षेत्र में आना पड़ता है। पुलिया निर्माण से विद्यार्थियों व अभिभावकों के लिये आवागमन सुगम हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री चौधरी ने संबंधित विभागीय अधिकारियो से बात कर उचित कार्यवाही के लिये आश्चस्त किया। शिष्टमंडल में प्रधानाचार्य मोहम्मद हामीज, उप प्रधानाचार्य सुमन बिजावत, एसएमसी सदस्य जयराम मालाकार, राकेश राव सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

माँ गंगा जल मंदिर शुरु

शाहपुर। खान्या के बालाजी के संत श्री रामदास जी महाराज के सानिध्य मे बस स्टैंड, देवनाराय मंदिर के पास वाटर कुलर का उद्घाटन हुआ।संत श्री योगेश्वर जी महाराज ने भीषण गर्मी के चलते हुए सप्ताह में आमजनो से अपील करते हुए कहा की गर्मी के मौसम में शीतल जल मिल सके ऐसी व्यवस्थाये हर चौराहो पर समाजसेवी एवं भागमाश्री की तरफ से लगाने की पहल होनी चाहिए। वाटर कुलर समाजसेवी दिलीप गुर्जर , सत्यनारायण सोनी, नैना मोबाइल अभिषेक पारीक,संजय सोनी, शालीमार आयरन इरफान खान, चेतन जैन, राधे मोबाइल राधेश्याम ,अभिषेक शर्मा, लाडू माली, गोपाल सोनी, निशान्त सुथार, वीरेंद्र चौहान ,राहुल सोनी, प्रहलाद तोबीनवाल के सहयोग से लगाया गया। जिनकी भरपूर प्रशंसा की, उद्घाटन के दौरान रमेश चौहान, शंकर रेगर, रामप्रसाद गुर्जर,छोटू बलाई, सुमित प्रजापत, राजेंद्र लखारा, जितेन्द्र लखारा, मोहम्मद हुसैन आदि उपस्थित रहे।

दिव्यांग स्कूटी योजना के आवेदन 15 तक

मसूदा । जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी विशाल सिंह सोलंकी ने जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार बजट वर्ष 2०25 – 26 की घोषणा के अन्तर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2025 के अंतर्गत विषय योजनायें से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें अजमेर जिले को आवंटित लक्ष्य ७7 हुए है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक जयप्रकाश ने बताया कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की पात्रता की शर्त एवं बांझित दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं। आय प्रमाण पत्र के लिए पीपीओ आदेश अथवा 2 लाख रूपए से कम आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। नि:शुल्कता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, कॉलेज जात का प्रमाण, रोजगार पर जाने का प्रमाण एवं आवेदक द्वारा पिछले ८ वर्ष में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी राज्यान्तर्गत मोटराइज्ड ट्राई साइकिल एवं स्कूटी वाहन प्राप्त नहीं किए जाने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ ही दिव्यांगता दर्शाती हुई फोटो और ड्राईविंग लाईसेंस भी अनिवार्य रूप से देना होगा। इच्छुक आवेदक को अपने आवेदन प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में 15 मई तक ऑनलाइन एसएसओ पोर्टल पर एसजेएमएस डीएसएपी आईकन के माध्यम से करना होगा।इस दौरान अभूत विकलांग सहायता सेवा संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष शिवप्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना से दिव्यांगों के इस योजना से एक राहत मिल सकेगी।सरकार की एक महत्वपूर्ण योगदान से दिव्यांगों में खुशी की लहर है

टीकाकरण कैंप संपन्न

अजमेर । जिले के आजमीन के लिए हज के दौरान होने वाले अरकान की ट्रेनिंग और टीकाकरण शिविर का आयोजन शनिवार को मखिन्द झाड़ी शाह कलेंदरी जमा मस्जिद पर आयोजित किया गया। राजस्थान हज कमेटी से 2025 के लिए चयनित हाजियों के लिए अजमेर जिला हज कमटी के खादिम हाजी मोहम्मद महमूद खान व सदर हाजी सिराजुदीन की अगवाई में आदर्श नगर कलेंदरी मस्जिद में मिले से 88 हाजियों को इस शिविर में टीकाकरण व स्वास्थ प्रमाण पत्र दिया गया। शिविर में दरगाह नाजिम बिकालखान कहा कि हाई एक फरीदा है, जिसको अदा करने की सआदत अल्लाह ने आप लोगों को दी है इसलिए आप सबको इस अहम फरीजे को निभाने के लिए सब्र के साथ सभी अरकान अदा कर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, उन्होंने कहा कि सभी हाजी अपने गुनाहों से तोबा कर अपने रिश्तेदारों से अपने गिले शिकवे दूर कर हज के सफर पर जाने की कोशिश करें ताकि अल्लाह के रसूल की सुनत के साथ हज की पूरा करें। कैंप में सहायक नाजिम डॉ.आदिल, जयपुर से हज ट्रेनर हकीम, युसुफ खान ने सभी हाजियों को हज जरूरी अरकान की जानकारी दी साथ हज सफर की मुबाक ब्रा दी। इस शिविर में ज़क़त वेल्फेयर ट्रस्ट की ओर से मेडिकल किट सभी हाजियों को भेंट किया। शिविर को सफल बनाने में सदर हाजी सिराजुदीन, हाजी गोस मोहम्मद, हाजी मजिद खानपुरा, जाहिद भिनाय, मोइन खान, नावेद खान, अब्दुल रशीद पेंटर, मंसूर, सलीम खान, आरिफ हुसैन आदि मौजूद रहे।

बस ऑपरेटरों का अधिवेशन, मांगे नहीं मानी तो आंदोलन होगा

अजमेर ऑपरेटर एसोसिएशन, राजस्थान

पुष्कर, (निर्सं)। तीर्थ नगरी पुष्कर में शनिवार को पुष्कर के पारीक आश्रम में बस ऑपरेटरो का वृद्धजन सम्मान समारोह एवं अधिवेशन आयोजित किया गयाजिसमें सम्पूर्ण राजस्थान से काफी संख्या में बस ऑपरेटर जुटकर विभिन्न मुद्दों पर की। अधिवेशन में पूरे राजस्थान से जिला स्तर एवं संभागीय स्तर के बस मालिक एवं पदाधिकारी एकत्रित हुए जिसमें बीओसीई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव सिंह खालसा एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसन्ना पटवर्धन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्रीनिवास राव नॉर्थ के विशेषतः गुरमोति सिंह बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू रहि सैनी सुभाष चौधरी ललित दुआ सहित कई पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का दीप

- केंद्रीयराज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने लिए भाग**
- इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने पर दिया जोर**

प्रचलित करके एवं सरस्वती वंदना के साथ शुभारंभ किया। अधिवेशन में राजस्थान से लगभग साढ़े तीन हजार बसे अन्य राज्य में पलायन कर चुकी हे उनको वापस राज्य में लाने हेतु चर्चा की जिसमें राज्य सरकार से टैक्स कम करने का प्रस्ताव किया गया। प्रत्येक



बस ऑपरेटरो का वृद्धजन सम्मान समारोह एवं अधिवेशन आयोजित किया गया ।

जिले ओर कस्बे में निजी बसों का बाद स्टैंड बनाया जाए सन 2०14 के बाद निजी बसों का किराया राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाया निजी बसों का किराया बढ़ाए जाए सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई अगर राज्य सरकार मांगे नहीं मानती हे तो आंदोलन करने का निर्णय लिया गया।

अधिवेशन में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत और केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी शिरकत की अधिवेशन में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत और केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने संबोधित करते हो कहा की निजी बसे ऑपरेटर की जो भी मांगे हैं वह यातायात मंत्री और मुख्यमंत्री भजनलाल तक पहुंचाई जाएगी और उनकी जो भी मांगे हैं उनको पूर्ण की

जाएगी उन्होंने कहा कि बस ऑपरेटर का शोषण नहीं होने दिया जाएगा उनकी जो भी बाजिज मांगी होगी उनको पूरी की किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत और केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के अधिवेशन पहुंचने पर बस ऑपरेटर के पदाधिकारीयो ने उनका माला ओर साफा पहनाकर और दुपट्टा ओढ़ा कर स्वागत सम्मान किया गया।

मांगे नहीं मानने पर राज्य भर में किया जाएगा उठा आंदोलन: पुष्कर के पारीक भवन में शनिवार को बस ऑपरेटरो का अधिवेशन आयोजित किया गया अधिवेशन में संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने कहा कि बस ऑपरेटरो की मांगे अगर राज्य सरकार नहीं मानती है तो राज्य भर में बस ऑपरेटर आंदोलन करेंगे।

उन्होंने बताया कि सन 2०14 के बाद निजी बसों का किराया नहीं बढ़ाया गया और जिला स्तर और कस्बे स्तर पर निजी बसों का अलग से बस स्टैंड बनाया जाए टैक्स में कमी की जाए सहित कई प्रमुख मांगे हैं अगर इन मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। बड़े शहरों में सीटी बसे बस यूनियन 40रुपए किलोमीटर में चलाने को राजी है लेकिन सरकार एक कंपनी को 61रुपए किलोमीटर में बस चलाने का ठेका देने जा रही है इससे जनता केसरकार के धन की बर्बादी होगी।इस अवसर पर अधिवेशन में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत को बस ऑपरेटर के संचालकों ने उनको ज्ञापन देकर उनकी मांगे पूर्ण करने की मांग की है।

भवन का

उद्घाटन आज

अजमेर,(कासं)। अजमेर के जयपुर रोड संयोगिता नगर में नवनिर्मित सेशन कोर्ट के नए भवन का लोकार्पण रविवार को होगा। मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश महेंद्र मोहन श्रीवास्तव तथा विशेष अतिथि हाईकोर्ट न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह व न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल होंगे। शनिवार को अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ताओं को निमंत्रण हेतु पीले चावल दिए। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया कि जिला न्यायाधीश अजमेर की नवनिर्मित भवन का उद्घाटन रविवार को राजस्थान चीफ जस्टिस करेंगे। कार्यक्रम को लेकर शनिवार को जिला बार की कार्यकारिणी द्वारा अधिवक्ताओं को पीले चावल देकर निमंत्रण दिया है। रावत ने बताया कि देश में चंडीगढ़ के बाद में यह दूसरा बड़ा जिला न्यायालय भवन होगा। यह भवन पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। आने वाले 50 सालों तक टेक्नोलॉजी को पूरा किया गया है। हाईटेक बिल्डिंग तैयार की गई है। 150 करोड़ की लागत से इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है।

देवनानी ने छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित

- परीक्षा के समय तनावमुक्त रहकर सकारात्मक सोच के साथ करे तैयारी - देवनानी**

शिक्षकों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। देवनानी ने कहा कि आज के दौर में विद्यार्थियों को केवल विषय ज्ञान ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास की भी आवश्यकता है। छात्रों को परीक्षा के समय तनावमुक्त रहकर सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करनी चाहिए जब छात्र संवेदनशील और विवेकशील बनते हैं, तभी वे न केवल अपने जीवन को सफल बनाते हैं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणास्रोत बनते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ सहयोग की भावना को भी विकसित करना चाहिए। इससे वे एक बेहतर नागरिक बनेंगे। जीवन

में चुनौतियाँ अनिवार्य हैं, लेकिन उनके सामने धैर्य और आत्मबल के साथ खड़ा होना ही सच्ची शिक्षा का परिचायक है। देवनानी ने भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में बौद्धिक विकास होने के साथ-साथ उनमें नैतिक मूल्यों की भी स्थापना होती है। इन मूल्यों के आधार पर ही एक मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव है। संस्कृति और शिक्षा का समाज में विखड़े दायित्वों के प्रति सजग होना चाहिए। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में गायत्री शक्तिपीठ के उपप्रबंधक ट्रस्टी वीरेंद्र कुमार शर्मा, मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी डॉ. भवानी सिंह राठौड़, विज्ञान भारती अजमेर के अध्यक्ष पीराराम सोनी तथा तकनीकी शिक्षा निदेशक अंशु सहगल भी उपस्थित रहे।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग

शाहपुर। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा शनिवार राष्ट्रपति महोदय के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। जिसमें मुर्शिदाबाद सर प्ररंभ हुई भीषण हिंसा संपूर्ण बंगाल में फैलती नजर आ रही है जिस पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को बर्खास्त करने तथा वक्फ बोर्ड की आड में बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार एवं माता बहनों का शील भंग करने एवं हत्या जैसी घटनाओं के विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज ने राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देकर ममता बनर्जी सरकार को अतिशीघ्र बर्दाश्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने की पुरजोर शब्दों में मांग की।

सह जिला मंत्री एडवोकेट कैलाश धाकड़ ने बताया कि ज्ञापन कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार एवं ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की तथा भारत माता के जयकारो के साथ मानवीय उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंच कर से जिला मंत्री ने ज्ञापन का वाचन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौपा गया।ज्ञापन कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री एडवोकेट कैलाश धाकड़,हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक हनुमान धाकड़विश्व हिंदू परिषद सह प्रांत गौरक्षा प्रमुख रामेश्वर लाल धाकड़, प्रखंड विष्णु सुखवाल , विहिप नगर अध्यक्ष राजेश सिंह

राणावत उपाध्यक्ष नरेश व्यास विहिप विरप्रुख विनोद सनाद्वय, कन्हैया लाल धाकड़(पूर्व चेयरमैन) ,शिवराज कुमावत(जिला संयोजक) अविनाश जीगणर(जिला उपाध्यक्ष) रामप्रसाद डांड,कैलाश सुखवाल,का.दीपक पारीक,कमलेश,अंकित मालू,पंकज पाराशर,सी ए अशोक बोहरा,बसंत वैष्णव, भेरूलाल बोहरा, महेंद्र याकना, नटवर सोनी,पवन सुखवाल, सत्येंद्र भंडारी, आशीष शर्मा ,मनीष शर्मा, जगदीश शर्मा ,रामभक्ष रेबारी, सूर्यप्रकाश शर्मा, राजेंद्र शर्मा,रामचन तेली, दुर्गेश वैष्णव, अमित वैष्णव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

विहिप ने की पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग

अजमेर, (कासं)। वक्फ बिल के विरोध की आड़ में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसक घटनाओं के विरोध में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर लोक बंधु को राष्ट्रपति ट्रैपदी मुर्मू के नाम का ज्ञापन सौंप कर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री आनंद प्रकाश गोयल, प्रांत उपाध्यक्ष स्नेहलता पंवार, विभाग संगठन मंत्री बनवारी, धर्म प्रसार सह संयोजक लेखराज सिंह राठौड़, महानगर अध्यक्ष अजीत अग्रवाल, महान श्यामसुन्दर शरण देवाचार्य, नरसिंह मंदिर के सत्यनारायण, महावीर सिंह गौड़, रणजीत सिंह राजपूत, नामदेव समाज



जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते विहिप के पदाधिकारी व कार्यकर्ता।

से के सी टेलर व राधेश्याम वर्मा, ब्राह्मण समाज से सुदामा शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता एकत्रित होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे यहां

उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने जिला कलेक्टर लोक बंधु

- विश्व हिन्दू परिषद ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन**

को राष्ट्रपति ट्रैपदी मुर्मू के नाम का ज्ञापन सौंप कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में प्रदर्शन से जुड़े पदाधिकारी सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशन गुर्जर ने बताया कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलिया जा रहा है, हिंदुओं के साथ अमानवीय प्रताड़ित की जा रही है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षडयंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है।

सार-समाचार

विश्व विरासत दिवस मनाया

मदनगंज-किशनगढ़,(निस्) 1।नये रेलवे स्टेशन के अंडरपास में भूमिगत पानी का लेवल ऊंचा होने से पानी भराव की समस्या के समाधान के लिये आवागमन के लिये दूसरा बॉक्स मार्ग भी खोल दिये जाने से आवाजाही को लेकर अजमेर ने हर्ष व्यक्त किया। रेल्वे सलाहकार समिति सदस्य भाजपा नेता महेंद्र पाटनी ने अंडरपास के डिवाइडर, फुटपाथ व आवागमन की क्षितठास्त सडक को दुरुस्त कराने हेतु निरंतर सार्थक प्रयास किये। अंडरपास से पाइप लगाकर उसके एक तरफ खोदे गये कुएं में डायवर्ट पानी की समुचित निकासी व्यवस्था पर भी जोर दिया, ताकि अंडरपास में पानी नहीं भर सके। बरसाती मौसम में भूमिगत अंडरपास में पानी भरने से लंबे समय तक आमजन सहित यात्रियों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। साथ ही रेलवे स्टेशन के आसपास की आवासीय कॉलोनियो के घरों के बेसमेंट में भी पानी भर जाने से लोगो को भारी परेशानी झेलनी पड़ी थी। भाजपा नेता पाटनी काफी समय से जनहित से जुडी समस्या के समाधान के लिये लगे रहे, जिसके चलते लोगो को आवाजाही में राहत मिल सकी।

भीषण गर्मी से बचाव के लिए टोपी बांटी

ब्यावर (निर्सं) हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी ब्यावर जिला व्यापार संघ द्वारा भीषण गर्मी से बचाव के लिए आम जनता को लू से बचाव हेतु विभिन्न आयोगन किया जा रहे हैं जिसके तहत शनिवार को पात्ती बाजार स्थित बोहरा एंड संस पर श्रमिकों, हाथ ठेले एवं वृद्ध राहगीरों को करीब 151 टोपी वितरित की गई। ब्यावर व्यापार संघ जिलाअध्यक्ष संजय घीया ने बताया कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप बोहरा के जन्मदिन उपलक्ष में सेवा कार्य करके जन्मदिन मनाया गया।कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष संजय घीया ,प्रदीप बोहरा ,जयदीप बोहरा ,विजय लोंगानी, जेनिश भारती, कपिल भारती, शैलेंद्र कुमावत ,ब्रजेश साहू,कपिल तेजवानी नवल सोमानी नेमीचंद सेन ,सुनील तालेपा ,कैलाश रावत ,पवन सिंह ,विशद फुलवारी ,सत्यनारायण सोनी ,गौरव सक्सेना , प्रकाश कुंदनानी ,अंश बोहरा ,शंकर प्रजापति ,कमलेश गोलानी, कमलेश भूतड़ा, गजराना आचार्य सहित अन्य उपस्थित रहे ।

विदेश से मृतक श्रमिक का शव तीन दिवस में मंगवाया

मसूदा (निर्सं)। अबू धाबी, यूएई में कार्यरत श्रमिक सबीर अहमद पुत्र पीपीया का आकस्मिक निधन हो गया था। मृतक की पत्नी संतोष द्वारा जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खडगावत के समक्ष निवेदन किया कि भारतीय शरीर को स्वदेश लाया जाए। जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खडुगावत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की व अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावल्लिया को निर्देशित किया गया कि विदेश मंत्रालय से समन्वय कर शव को शीघ्र भारत लाने की व्यवस्था की जाए। जिला प्रशासन की तत्परता से मृतक का पार्थिव शरीर तीन दिवस के भीतर अबू धाबी से भारत लाकर अंतिम संस्कार कराया गया। जिला प्रशासन द्वारा मृतक की पत्नी संतोष निवासी बाड़िया भैरू का थान श्यामगढ, तहसील मसूदा को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है जिससे उन्हें 115० प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी, साथही, मृतक के ,3 बच्चों को पालनहार योजना से लाभान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को 15०० प्रतिमाह की सहायता राशि दी जा रही है।प्रशासन ने दुख की इस घड़ी में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए पीडित परिवार को हर्षसंभव सहायता सुनिश्चित की है।

पोषण अभियान की कार्यशाला का आयोजन

अजमेर, (कासं)। पोषण अभियान में सप्तम पोषण पखवाड़ा के अन्तर्गत मीडिया जागरूकता अभियान का आयोजन शनिवार को सूचना केन्द्र में किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक महेश शर्मा ने बताया कि पोषण अभियान में सप्तम पोषण पखवाड़ा के अन्तर्गत मीडिया जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इसमें जिले के समस्त विभागीय बाल विकास परियोजना अधिकारियों, समस्त महिला पर्यवेक्षकों, पाँच आोनबाड़ी कार्यकर्ता तथा पोषण अभियान अन्तर्गत कार्यरत मानव संसाधनों को आमंत्रित किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता अनुष्मा टेलर एवं अतिरिक्त निदेशक पोषाहार द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि कार्यशाला के अन्तर्गत समस्त सम्बन्धितों को पोषण अभियान अन्तर्गत संचालित गतिविधियों तथा इससे जुड़ी विभिन्न तकनीकी जानकारीयों के द्वारा समस्त सम्बन्धितों का क्षमतावर्द्धन किया गया तथा गतिविधियों के संचालन में आ रही समस्याओं का निराकरण किया। इसके अतिरिक्त पोषण शिक्षा, पोषण के पांच सूत्र, स्वच्छता, एनीमिया, स्वास्थ एवं सुहरी डिब्बुकी के तहत गर्भधारण करने से बचने के 6 माह पूरे होने के पश्चात की जाने वाली परिचर्या के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त पोषण प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया साथ ही मीडिया किट का वितरण भी किया गया। कार्यशाला के दौरान अन्य महत्वपूर्ण विभागीय योजनाओं, जैसे प्रधानमन्त्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना आदि से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गई तथा योजना से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण किया जाकर फिन्ड्स कार्मिकों का क्षमतावर्द्धन किया गया। कार्यशाला को रूचिकर बनाने की दृष्टि से विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों के मध्य में अल्पकालीन सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी संचालित की गईं।

राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

अजमेर, (कासं) । जिला मुख्यालय पर शनिवार को जिला कलेक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान राजस्व कार्यों की प्रगति, नामांकरण, बंटवारा, सीमांकन, प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवं जन शिकायतों के समाधान की समीक्षा की गई। श्री लोक बन्धु ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे राजस्व कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें तथा आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त आगामी अप्रदा प्रबंधन तैयारी, राजस्व वसूली, एवं खेतों के सीमांकन कार्य में तेजी लाने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई निगरानी प्रकरणों का अंतिम जवाब सात दिवस में भिजवाया जाए। इसमें वस्तुस्थिति और अग्रिम कार्यवाही का विवरण शामिल हो। साथ ही स्टारमार्क प्रकरणों के जवाब दो दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रेषित किए जाएँ। इसमें अपेक्षित कार्यवाही या कार्यवाही संभव नहीं होने की स्थिति के कारण का विवरण दिया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी रात्रि चौपाल के माध्यम से नियमित जनसुनावर्द्धन और निरीक्षण करें। यह क्रिया केवल ऑनलाइन तक नहीं बल्कि प्रभावी होनी चाहिए। अधिकारी क्षेत्र में रात्रि विश्राम भी करें। इस दौरान सामने आई जनसमस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए और संबंधित डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जाए। समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सक्षम अनुमति से ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे। जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया कि फॉर्मर रजिस्ट्रेशन शिविरों में डोर-टू-डोर सर्वे करवाकर सभी की काशतकारों का शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए । इसमें पीएम किसान योजना के लाभार्थियों का पंजीकरण आवश्यक रूप से कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जनसुनावई के दौरान रास्तों पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों का समाधान रास्ता खोले अभियान के अंतर्गत करवाया जाए। अभियान रूप में कार्य करते हुए रास्ता खुलवाने की कार्यवाही करें। ग्रीष्मकालीन परिस्थितियों को देखते हुए जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति पर विशेष निगरानी रखी जाए। विशेष रूप से टोल एंड वाले ग्रामों में। जीएसएस और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर हीटवेव से सुरक्षा की तैयारियों का जायजाल लेने के निर्देश दिए। विद्यालयों एवं कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई।

आग लगी

अजमेर । अजमेर संभाण के सबसे बड़े जवाहर लाल नेहरू अस्पताल की पार्किंग की छत पर इलेक्ट्रिक किशन गुर्जर ने बताया कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलिया जा रहा है, हिंदुओं के साथ अमानवीय प्रताड़ित की जा रही है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षडयंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है।

आम सूचना
मेरे दादू अलानूर पुर अलाबख जालि मुसलमान निवासी गाँव मोहनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर की मृत्यु दिनांक 4 अगस्त 1982 एवं दादी सुमनी पत्नी अलानूर की मृत्यु दिनांक 1० मार्च 1984 को बड़े गाँश मंदिर वाली गली,रेगरान मोहल्ला,कृष्णापुरी मदनगंज-किशनगढ़ पर हो गई। इन दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिये तहसीलवार किशनगढ़ के समक्ष आवेदन किया है। इस सूचना में किसी व्यक्ति संस्था को आपत्ति हो तो 1 दिवस में अपनी आपत्ति तहसीलवार के समक्ष दर्ज कराये,बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
प्राची-रफीक पुत्र सतार का मोहनपुरा

बंद पड़ी खान में कपड़े की गांठ में बंधा हुआ महिला का शव मिला

शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो चुका था चेहरा पूर्ण रूप से बिगड़ा हुआ था

मालपुरा, (निसं)। मालपुरा उपखण्ड क्षेत्र के लाम्बाहरसिंह थानान्तर्गत नयागांव जाटान से कांठोली मार्ग पर बंद पड़ी ग्रेनाइट की खान में शुक्रवार की रात एक कपड़े की गांठ में लिपटा एक महिला का सड़ा गला शव तैरता मिला। शव को पुलिस सुरक्षा मे ले डीवाईएसपी आशीष प्रजापत की उपस्थिति में एफएसएल व मोबाइल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाये।

थाना पुलिस से मिली जानकारी में बताया कि शुक्रवार की देर शाम को

जरिये दूरभाष के सूचना मिली कि नयागांव जाटान के पास आबादी से लगभग दो किलोमिटर दूर बंद पड़ी ग्रेनाईट की खान में एक कपड़े की गांठ पानी में तैर रही है तथा दूर-दूर तक सडांध फैली हुई है। सूचना मिलने पर लाम्बाहरसिंह थाना पुलिस व पुलिस वृत्ताधिकारी आशीष प्रजापत पुलिस जापे के साथ मौके पर पहुंचे। मौजूद ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशकत कर खान में तैर रही कपड़े की गांठ को बाहर निकालकर खोला तो गांठ में महिला का शव मिला। शव बुरी तरह

- खान में तैर रही कपड़े की गांठ को बाहर निकालकर खोला तो गांठ में महिला का शव मिला**
- शव से उठती दुर्गन्ध व कीड़े-मकोड़े के आधार पर महिला का शव लगभग बीस दिन से एक महिना पुराना होने का अंदेशा जताया जा रहा है**

क्षत-विक्षत हो गया। चेहरा पूर्णरूप से बिगड़ गया। जलीय जन्तुओं ने शव को क्षत-विक्षत कर दिया। जिससे शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। शव से उठती दुर्गन्ध व कीड़े-मकोड़े के आधार पर महिला का शव लगभग बीस दिन से

एक महिना पुराना होने का अंदेशा जताया जा रहा है। खान से बाहर निकालते ही शव से उठती दुर्गन्ध और तेज फैल गई तो लोगों का सांस लेना तक भी दुभर हो गया।

पुलिस वृत्ताधिकारी व जवानों ने

मानवीयता का फर्ज निभाते हुये शव को सुरक्षा में ले मालपुरा जिला अस्पताल की मोर्चरी में बर्फ की सिल्लियों के सहारे सुरक्षित रखवाया। मौके पर पहुंचे एफएसएल व एमओयू टीम ने सौ मीटर की परिधि से साक्ष्य जुटाये। शनिवार को भी अधिकारियों ने खान के आसपास सर्च अभियान चलाया। प्रशासन ने शव के हलिये सहित शरीर पर मिले कपड़े व अन्य जानकारीयों को मीडिया के माध्यम से पब्लिस कर शव की पहचान का प्रयास जारी रखा।

अवैध शराब बरामद

श्रीगंगानगर, (निसं)। आबकारी पुलिस ने एक गाड़ी में भरी हुई 14 पेटी बीयर व करीब साढ़े तीन पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। आबकारी निरीक्षक (ग्रामीण) फतेह सिंह ने बताया कि पुरानी आबादी क्षेत्र से शराब जब्त हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बार संचालक संदीप अरोड़ा के खिलाफ आबकारी थाना में केस दर्ज किया गया है। संदीप अरोड़ा पुरानी आबादी क्षेत्र में एक होटल और बार का संचालक है। ऐसी सूचना है कि उनके नाम एक शराब ठेका भी चल रहा है लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। आबकारी निरीक्षक ने बतायाकि शराब के ठेकेदारों ने अवैध तरीके से शराब ले जाए जाने की सूचना दी थी।

शराब पीने से टोका तो मां-बेटे को पीटा, महिला की मौत

बीकानेर, (निसं)। यहां अशोक नगर में महिला की हत्या के मामले में पुलिस जल्द खुलासा कर सकती है, जिस घर में मारपीट हुई उसके पास ही कुछ लोग शराब पी रहे थे। उन्हें टोकने के बाद महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट की गई। घायल महिला ने पीबीएम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। अब पुलिस शराबी युवकों की तलाश कर रही है।

सोओ सदर प्रशिक्षु आईपीएस विशाल जांगिड़ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि कुछ लोग घर के आगे शराब पी रहे थे। उन लोगों को शराब पी और उनके बेटे ने वहां शराब पीने से टोका था। जिसके बाद ये लोग घर में घुस गए और मारपीट की। नशे में इतनी पिटाई कर दी कि महिला

- शराबी युवकों की तलाश कर रही है पुलिस**

गंभीर घायल हो गई और मौत हो गई। पुलिस ने जिन लोगों को खिहत किया है, उनको हिरासत में लेने के लिए दबिश्ता दी जा रही है।

अब तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। हिरासत में भी नहीं लिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में कुछ युवकों की धरपकड़ हो सकती है। मृतका के बेटे की निशानदेही पर जल्द ही पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है। पुलिस जयनारायण व्यास कॉलोनी पुलिस आस-पास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।

शराब पीने से चोरी हुआ ट्रक, तगों द्वारा ठगी गई राशि पीड़ितों के खाते में रिफंड करवाई

कोटा, (निसं)। बोरखेड़ा पुलिस सायबर हेल्प डेस्क की टीम ने तीन अलग-अलग सायबर ठगी के मामलों में कार्रवाई करते हुए सायबर ठगो द्वारा ठगी गई राशि में से 59 हजार 669 रूपयों की राशि को पीड़ितों के खातों में रिफंड करवाने की कार्रवाई की गई। शहर पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि वर्तमान में बढ़ते सायबर क्राईम की घटनाओं को देखते हुए इनकी रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें सायबर फ़्रोड की घटनाओं की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ एवं सायबर ठगों द्वारा ठगी गई राशि को पीड़ितों के खातों में रिफंड करवाने के लिये प्रत्येक थाना स्तर पर सायबर हेल्प डेस्क की टीम को निर्देशित किया गया है। शहर एसपी ने बताया कि

शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों का नुकसान



बालापुरा गांव में लगी आग को ग्रामीणों की मदद से बुझाया।

- तीन दमकलों से आग पर पाया काबू**

सहित आधा दर्जन बाढ़ों में फैल गई। तेज हवा चलने से आग देखते ही देखते बिकराल हो गई। जिसमे एक के बाद एक बाढ़ों को चपेट में ले लिया। भीषण आग की मिली सूचना पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के आदेशों पर टांक, मालपुरा व टोडारायसिंह मुख्यालय से पहुंची तीनों दमकलों व ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू

पाया गया। ग्रामीणों ने भी दमकलों के साथ स्वयं के पानी के टैंकर लगा आग बुझाने का पूरा प्रयास किया। भीषण आग से लाखों रूपयों का नुकसान होने व मवेशियों के सामने चारा का संकट आ जाने से पीड़ितों की आंखें नम हो गई। ग्रामीणों ने मंत्री व क्षेत्रिय विधायक चौधरी से पीड़ितों को आर्थिक सहायता व नुकसान का मुआवजा दिलवाने की मांग की। मौके पर पहुंचे राजस्व विभाग के अधिकारियो ने आग से हुये नुकसान का आकलन शुरू किया।

सीवर लाइन खोदते समय गैस की पाइप लाइन लीक, आग लगी

- आग लगने की सूचना पर गेल गैस लिमिटेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया**

सीवर लाइन का काम चल रहा था। सीवर लाइन के लिए खुदाई की जा रही थी। यहां से धरेलू गैस की 125 की लाइन थी जो घरों में जा रही है। प्राकृतिक ज्वलनशील गैस है। हमने अपने आदमी को यहां पहले से ही लगा रखा था। इससे

पहले भी कई बार सीवर लाइन डालते समय हमारी लाइन को नुकसान पहुंचाया था।

आज भी सीवर लाइन को खोदते समय लाइन लीक हो गई और उसमें आग लग गई। तुरंत हमारे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बॉल को बंद किया और आग पर काबू पाया गया। जो भी लीक हुआ था उसको बंद किया गया। आग लगने के बाद गेल की फायर फाइटिंग टीम ने आग को तुरंत बुझा दिया। हमने 15 मिनट में ही स्थिति पर नियंत्रण कर लिया था।

आग लगने से चारा व सामान जला

सरवाड़, (निसं)। विद्युत विभाग के

जब इसकी सूचना आसपास के लोगों को मिली तो काफी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई वहीं मौके पर ही दमकल कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। वहीं तेज हवाओं के चलते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बड़ी मुश्किल से दमकल गाड़ी

ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से शहर की विद्युत सप्लाई बंद कर दी। वहीं विद्युत अपूर्ति चलू करने के लिए कर्मचारी ठीक करने में लगे हुए थे। वहीं शहर की विद्युत सप्लाई बंद होने से शहर साहित उपखंड क्षेत्र में भीषण गर्मी में लोगों का हाल बुरा रहा।

अवैध हथियार सहित एक गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (निसं)। जिले में घमुड़वाली थाना पुलिस ने अवैध देसी पिस्तौल सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

घमुड़वाली थाना अधिकारी पृथ्वीराज विश्वाई ने बताया कि गश्त के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया है। नहर के पास एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। जिस पर घेराबंदी कर व्यक्ति को रोककर पूछताछ की तो युवक ने अपना नाम रतिराम पुत्र मायराज निवासी 54 एलएनपी बताया, जिस पर युवक की तलाशी ली तो युवक के कब्जे से 12 बोर का अवैध देसी पिस्तौल बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जेईई मेन में 100 पसैंटाइल स्कोर करने वाले सर्वाधिक सात अभ्यर्थी राजस्थान ने दिए

कोटा, (निसं)। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉईंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2025 का परिणाम शुक्रवार देर रात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी कर दिया। इस परीक्षा का आयोजन जनवरी और अप्रैल दो सेशन में हुआ था। इस बार 15,39,848 युनिक कैडिडेट्स ने आवेदन किया था, जिनमें से 14,75,103 ने परीक्षा दी। साथ ही जेईई एडवांस 2025 के लिए कट-ऑफ भी जारी की गई है, जिसमें 2,50,236 अभ्यर्थी क्वालीफाई हुए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अप्रैल सेशन की फाइनल ऑंसर-की भी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। कैडिडेट्स अपने परिणाम और दोनों सेशंस के संयुक्त परफॉरमल स्कोर वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। 100 पसैंटाइल स्कोर करने वाले 24 कैडिडेट्स में राजस्थान से सर्वाधिक 7 अभ्यर्थी शामिल हैं।

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा के अनुसार, राजस्थान में टॉपर्स की संख्या

सुनवाई में सामने आया कि जांच में चोरी होना नहीं पाया गया। स्टेशन रोड स्थित बजरिया हाल कोटा निवासी अवधेश शर्मा ने ट्रक चोरी होना बताते हुए 20 लाख रुपए का क्लेम किया था। यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी को घटना के 26 दिन बाद सूचना देने और एफआईआर कराने पर संदेह हुआ। कंपनी ने जांच कराई जिसमें सामने आया कि ट्रक चोरी नहीं हुआ था। इस पर कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया। ऐसे में बीमाधारक ने स्थाई लोक अदालत में

अर्जी लगाई। तलब किए जाने पर कंपनी ने अपने अधिवक्ता प्रमोद कुमार शर्मा के माध्यम से अपना पक्ष रखा। अध्यक्ष गंभीर सिंह और सदस्य योगेश कुमार शर्मा ने मामले पर निर्णय किया। उन्होंने अर्जी को खारिज कर दिया। साथ ही प्राथी पर पांच हजार रुपए का हर्जाना लगाया। यह रकम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करानी होगी। दो महीने में हर्जाना नहीं जमा कराने पर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूलने का भी आदेश दिया है।

रात के अंधेरे में चोरी हुआ ट्रक, तीन महीने बाद मामला दर्ज

18 जनवरी को चोरी हुए ट्रक के संबंध में पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था

- 20 जनवरी को चूनावढ़ थाना में शिकायत दी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की थी**

अपने ट्रक में सामान लोड करने के लिए सूरतगढ़ जा रहा था। शाम करीब सात बजे नेतेबाला में पंजाब दाबा के नजदीक लॉक लगाकर ट्रक खड़ा कर दिया और अपने रिश्तेदार के पास 1 सी छोटी गांव चला गया। रात को धुंध के कारण वापस

नहीं लौट पाया। सुबह आकर देखा तो ट्रक गायब था। सर्दुल सिंह के मुताबिक आस पड़ोस में पता चला पर ट्रक के बारे में जानकारी नहीं मिली। इससे अंदाजा हुआ कि रात के समय कोई अज्ञात व्यक्ति ट्रक चोरी करके ले गया। सर्दुल सिंह ने बताया कि 20 जनवरी को चूनावढ़ थाना में शिकायत दी लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अब इस्तगासा के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। चूनावढ़ थाना में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच हैड क्रांस्टेबल मनोहरलाल को सौंपी गई है।

यातना देने वाले फैक्टरी संचालक सहित चार आरोपी गिरफ्तार

- खपराभट्टा में मजदूरों की पिटाई का मामला**

निवासी हैं। कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने उन्हें आइसक्रीम फैक्टरी में काम कराने के लिए कोरबा लाया गया था। काम करने के बाद वेतन देने की बारी आई तो आनाकानी शुरू हो गई। युवकों ने अग्रिम राशि की मांग की तो बदले में उन्हें यातना दी गई। प्लायर से नाखून निकलने की कोशिश की गई और करंट भी लगाया गया। किसी तरह आक्रांताओं से छूटकर युवक कोरबा से भागे और राजस्थान पहुंचे। उन्होंने वहां की पुलिस को इस बारे में कहानी बताई। दावा किया जा रहा है कि दूसरे क्षेत्रों की तरह राजस्थान पुलिस ने भी सेंटिंग के लिए दबाव डाला। अच्छी बात यह

रही कि किसी जानकार व्यक्ति के संपर्क में पीड़ित आए तो एसपी भीलवाड़ा तक मामला भिजवाया गया।

उन्होंने मारपीट के वीडियो को अपने ट्वीटर एकाउंट पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की। इसके साथ ही पुलिस को शून्य पर मामला दर्ज करते हुए इसकी काफी ऑनलाइन माध्यम से कोरबा पुलिस को भिजवाई। आखिरकार यहां सिविल लाइन पुलिस ने मारपीट करने वाले फैक्टरी संचालक के खिलाफ बीएनएस की गुहार लगा रहे हैं और आरोपी उन्हें बिभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। कोरबा सीएसपी भूषण ने बताया कि सिविल लाइन थाना में एकट्रोसिटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। पीड़ित युवकों का मुलाहिजा (चिकित्सकीय परीक्षण) कराया गया

है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भीलवाड़ा पुलिस कोरबा आ रही है। वहीं सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रमोद डनसेना ने बताया कि चार संदेही को हमने गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार इस घटना का वीडियो हाल में ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हुआ जिसमें खपराभट्टा इलाके में युवकों से बुरी तरह से मारपीट करने और यातना देने की तस्वीरें आम हुई। पीड़ित युवक जान की गंवार लगा रहे हैं और आरोपी उन्हें इनकार कर दिया है। स्थिति की जोड़ रहे थे खोड़ दो। खोड़ दो की गुहार लगा रहे थे लेकिन उनके साथ किसी तरह की मानवता नहीं दिखाई गई। अब जब पुलिस ने मामला दर्ज किया है और भीलवाड़ा एसपी की सख्ती के बाद वहां की पुलिस अगली कार्यवाही के लिए कोरबा आ रही है।

दो सफाईकर्मियों की मौत

अलवर, (निसं)। जिले के खेरली क्षेत्र स्थित नवकार वाटिका सोसायटी में शनिवार को एक हृदयविकारक हादसा हो गया। सीवेरेज की सफाई के दौरान दो सफाईकर्मियों की मौत हो गई।

मृतकों की पहचान लच्छी पुत्र मंगलु और आकाश उर्फ हेमराज निवासी खेडली के रूप में हुई है। हादसे के बाद परिजन और वाल्मीकि समाज के लोग भारी संख्या में हॉस्पिटल में एकत्र हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये मृतकों के परिजनों को एक करोड़ रुपये मुआवजा और एक-एक सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए खेड़ली कदमुर थाने की पुलिस मौके पर मौजूद है, साथ ही खेड़ली भनोखर के नायब तहसीलदार भीस्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं। सोसायटी में सीवेरेज सफाई की व्यवस्था और सुरक्षा उपायों को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं।



शेखावाटी यात्रा के पहले दिन सीकर जिले में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ

जनता और कार्यकर्ताओं ने यमुना जल तथा बजट घोषणाओं के लिये मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शेखावाटी का किसान बहुत मेहनती है तथा यहाँ का युवा देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिये भी आगे रहता है।

जयपुर/सीकर, 19 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शनिवार को जयपुर से शेखावाटी अंचल के सीकर, झुंझुनू एवं चूरू का तीन दिवसीय दौरा प्रारम्भ हुआ। शर्मा की इस यात्रा में पहले दिन जयपुर एवं सीकर जिले के विभिन्न स्थानों पर आमजन द्वारा उत्साह के साथ उनका स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस दौरान, जगह-जगह पर आमजन व पार्टी कार्यकर्ताओं ने शेखावाटी अंचल में यमुना का पानी लाने का मार्ग प्रशस्त करने एवं बजट घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं, सीकर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसुनवाई की। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ रही।

मुख्यमंत्री ने श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के सरगोद में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने आमजन से शेखावाटी के क्षेत्र में यमुना जल लाने की बात कही थी और इस पर हमने काम भी किया, लेकिन हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उसके घोषणा पत्र में लिखा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर राजस्थान से किया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार से शेखावाटी के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। इस यात्रा के पहले दिन उन्होंने सीकर में जनसुनवाई की।

गया यमुना जल समझौता रह कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद यमुना जल समझौते पर काम करते हुए, टास्क फोर्स का गठन हुआ और डीपीआर बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया। शेखावाटी क्षेत्र में यमुना का जल आने से किसान को फायदा मिलेगा। हम राजस्थान की आठ करोड़ जनता के लिए काम करते हैं।

इस अवसर पर, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खरौं, विधायक गोवर्धन वर्मा, कुलदीप धनखड़, जिला अध्यक्ष मनोज बावड़ सहित, विभिन्न जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में

आमजन उपस्थित थे। वहीं, मुख्यमंत्री का खण्डेला के रिंगस में भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन की ओर से अभिनंदन किया गया, मुख्यमंत्री ने कहा कि 200 करोड़ रुपये के विकास कार्य की सीमागत खण्डेला विधानसभा क्षेत्र को दी गई है। इस अवसर पर विधायक सुभाष मील, राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र नायक सहित, विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, भाजपा कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पलसानी में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया, जिसके पश्चात

आयोजित की गई जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। हमने राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में विकास करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन शेखावाटी के लिए यमुना का जल नहीं ला पायी, जबकि हम राजस्थान की हर समस्या के समाधान के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र का किसान बहुत मेहनती है, वहीं, यहां का युवा देश की सीमाओं की रक्षा करने में भी आगे रहता है। उन्होंने कहा कि कुंभाराम लिपट के लिए भी हमने बजट में वित्तीय प्रावधान किया है।

मुख्य अभियन्ता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जानकारी नहीं दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आगामी सुनवाई से तीन दिन पहले अदालत में रिकॉर्ड पेश कर दिया जाता है तो फिर मुख्य अभियंता को आने की जरूरत नहीं है।

चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश मामले में लिए गए स्वरिचित्र प्रसंगान पर सुनवाई करते हुए दिए।

गौरतलब है कि पूर्व में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि हाईकोर्ट ने सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की साल 1947 और 1955 की स्थिति पुनः कायम करने के निर्देश दिए थे। इसकी पालना में भरतपुर की सीएफसीडी के किनारों पर 272 अतिक्रमण चिह्नित किया गए थे। प्रशासन इनमें से 171 से अधिक अतिक्रमणों को हटा चुका है। वहीं दूसरी ओर, प्रभावितों की ओर से कहा गया था कि वे साल 1947 से पहले से इस जमीन पर काबिज हैं। अदालत ने मामले में 21 नवंबर, 2024 को आदेश जारी करते हुए, सीएफसीडी के मौजूदा स्थल पर राजस्व मानचित्र को सुपर इंपोज करते हुए मानचित्र पेश करने को कहा था।

धनखड़ की टिप्पणी ने भारी विवाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दाखिल करने का समय दिया है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणियों को न्यायपालिका के हस्तक्षेप की प्रत्यक्ष आलोचना के रूप में देखा जा रहा है, जिससे विवाद गहरा गया है। उन्होंने कानून बनाने में संसद की सर्वोच्चता पर जोर दिया और न्यायिक अतिक्रमण के खिलाफ चेतावनी दी। कई लोगों ने इन टिप्पणियों को, वक्फ अधिनियम संशोधनों पर न्यायपालिका की चल रही सुनवाई को प्रभावित करने का प्रयास माना है।

संशोधित वक्फ अधिनियम के समर्थकों का कहना है कि ये सुधार वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता और समावेशिता (इन्क्लूसिविटी) को बढ़ाने के लिए हैं। इस अधिनियम में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्डों में शामिल

करने का प्रस्ताव है, जिसका लक्ष्य भारतीय समाज की विविधता को दर्शाना है। तथापि, अधिनियम के आलोचकों का मानना ​​है कि ये बदलाव मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन करते हैं। एआईएनआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इन संशोधनों को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है और सरकार पर हिंदुत्व एजेंडा लागू करने का आरोप लगाया है।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित, कई संगठनों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि ये संशोधन वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत

प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। जैसे-जैसे एक सप्ताह की समय सीमा नजदीक आ रही है, सबकी निगाहें केंद्र सरकार का आगामी हलफनामे पर टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 मई को लिया जाने वाला फैसला, वक्फ (संशोधन) अधिनियम के भविष्य और विधायी अधिकार तथा न्यायिक निगरानी (जुडीशियल ओवरसाइट) के बीच संतुलन तय करने में निर्णायक साबित होगा।

धनखड़ की राजनीतिक भूमिका को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या उनका न्यायपालिका से टकराना उचित है, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ इसी तरह के उनके व्यवहार को याद किया जा रहा है।

बार बार पूर्व मु.मंत्री अपनी पीठ ठोकते हैं, कि उनके शासन में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निर्माण करने के आदेश जारी करवाना, कुछ गिनी चुनी कंपनियों की मदद से फंड की राशि की हेराफेरी करने जैसा ही प्रतीत होता है। विशेषकर इस आरोप को इस तथ्य से और बल मिलता है कि जिस सरकारी अस्पतालों में कोविड महामारी के दौरान आई.सी.यू./एन.आई.सी.यू बनाये गये थे, उनमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया गया। ये मानक संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक होते हैं। महंगी दरों पर आई.सी.यू. का निर्माण किया गया। ज्यादातर अस्पतालों में कोई नया निर्माण

अप्रैल 2020 को भी दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनके अनुसार, आई.सी.यू. जैसे स्थायी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं थी, लेकिन गहलोत सरकार के नियमों का उल्लंघन कर उक्त बड़ी राशि को खर्च कर दिया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और 8 अप्रैल 2015 को जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से आधारभूत संरचना का निर्माण, लम्बी अवधि अथवा स्थायी परम्पत्त का कार्य नहीं करवाया जा सकता तथा ऐसे खर्चें राज्य सरकार को अपने बजट से करने चाहिए। हेरानी की

राशि आई सी यू/पी आयी सी यू तथा एनआई सी यू हेतु उपकरणों की खरीद सहित, टर्नकी निर्माण (शामिल) की राशि मुहैया करवाई थी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय के नियमानुसार, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के फण्ड के उपयोग के लिए वर्ष 2015, फिर वर्ष 2022 और फिर वर्ष 2023 में नियम-कायदे संशोधित किए गए थे।

और इन्में भी स्थायी निर्माण, दीर्घावधि मरम्मत और आधारभूत संरचना हेतु स्थायी निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में सख्त मनाही है।

गौरतलब है कि इसी नियम के चलते राज्य के एस.डी.आर.एफ. विभाग ने जोधपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 4 वार्ड बनाने हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा भेजे गए 110 करोड़ के प्रस्ताव को यह कहते हुए वापस भिजवा

राजस्थान सरकार रिजिस्ट्रार विभाग क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)				
कार्यालय अजमेर				
कोईटा-19 की रोकथाम एवं Health Care infrastructure में सहाय के विभिन्न विभाग द्वारा किए गये निम्नलिखित कार्य:				
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)
क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2024)	क्रमांक व. 7(गैरआवंट) /सीई-10 /Add. Proposal / 2024 / 11 2 (दिनांक: 06/05/2